न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी – श्रीमति भारती फूलफकर आर.ए.एस.

अनवान –

1. जावेद फारूकी पुत्र श्री जुनेद अहमद फारूकी जाति पीरजादा निवासी एफ. 7 सुभाष मार्ग इन्दिरा नगर झूंझुनू (राज.)

........**वादी**.........

बनाम–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर।
2. जियाउर्रहमान पुत्र श्री अब्बदुलरहमान जाति पीरजादा निवासी मोहल्ला बटवालान मस्जिद के पास झुंझनू(राज.)
3. रिहाना फारूकी पुत्री अताउर्रहमान जाति पीरजादा निवासी एफ, 7 सुभाष मार्ग इन्दिरा नगर झूंझुनू (राज.)
4. रूबीना बानो पुत्री अताउर्रहमान जाति पीरजादा निवासी एफ, 7 सुभाष मार्ग इन्दिरा नगर झूंझुनू (राज.)
5. सबिना बनो पुत्री अताउर्रहमान जाति पीरजादा निवासी एफ, 7 सुभाष मार्ग इन्दिरा नगर झूंझुनू (राज.)
6. मोईन आलम फारूकी पुत्र अताउर्रहमान जाति पीरजादा निवासी एफ, 7 सुभाष मार्ग इन्दिरा नगर झूंझुनू (राज.)
7. जरीना फारूकी पत्नी शुआउर्रहमान जाति पीरजादा निवासी वार्ड नं. 30 मोहल्ला बटवालान झुझनूं (राज.)
8. नुरमाना फारूकी पुत्री शुआउर्रहमान जाति पीरजादा निवासी वार्ड नं. 30 मोहल्ला बटवालान झुझनूं (राज.)
9. गुफरान अली फारूकी पुत्र शुआउर्रहमान जाति पीरजादा निवासी वार्ड नं. 30 मोहल्ला बटवालान झुझनूं (राज.)
10. अबरार अहमद पुत्र शुआउर्रहमान जाति पीरजादा निवासी वार्ड नं. 30 मोहल्ला बटवालान झुझनूं (राज.)
11. जुनेद अहमद फारूकी पुत्र अताउर्रहमान मृतक –

    11/1. नूरानी बनो पत्नी जुनेद अहमद फारूकी पुत्रवधु अताउर्रहमान जाति पीरजादा निवासी एफ, 7 सुभाष मार्ग इन्दिरा नगर झूंझुनू (राज.)

    11/2. आलिया फारूकी पुत्री जुनेद अहमद फारूकी पौत्री अताउर्रहमान जाति पीरजादा निवासी एफ, 7 सुभाष मार्ग इन्दिरा नगर झूंझुनू (राज.)

    11/3. मोहम्मद आवेश पुत्र जुनेद अहमद फारूकी पौत्र अताउर्रहमान जाति पीरजादा निवासी एफ, 7 सुभाष मार्ग इन्दिरा नगर झूंझुनू (राज.)

    11/4. नूर आलम पुत्र जुनेद अहमद फारूकी पौत्र अताउर्रहमान जाति पीरजादा निवासी एफ, 7 सुभाष मार्ग इन्दिरा नगर झूंझुनू (राज.)

.........**तरतीबी पक्षकार**........

उपस्थित :– 1. श्री नरेश कुमार पुरी वकील वादी
2. श्री इन्द्रजीत डाबी वकील प्रतिवादीगण
3. पैराकार राज तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर।

लगातार...........2

भारती
उप जिला कलेक्टर
, श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner

(वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 92ए, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट)

प्रकरण संख्या – 14/2021 निर्णय दिनांक– 05.04.2023

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :–

यह कि वादी ने एक वाद पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के दादा अताउररहमान व उनके भाईयों शुआउररहमान पुत्र अब्दुलरहमान एवं प्रतिवादी संख्या 2 जियाउररहमान के नाम से संयुक्त खाता में भूमि वाके चक 13 बी. एल.एम.(बी) तहसील श्री विजयनगर का मु.नं. 2 प.नं. 212/419 का किला नं. 1/1, 2 ता 9, 10/1, 11/1, 12 ता 19, 20/1, 21/1, 22 ता 25 व मु.नं. 3 प.नं. 212/420 का किला नं. 1/1, 2 ता 9, 10/1, 11/1, 12 ता 15, 16/1, 16/2, 17 ता 19, 20/1, 21/1, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1 का 12.270 है. कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2072--2075 का खाता संख्या 8 में है। उक्त वर्णित भूमि में 1/3 हिस्सा भूमि वादी के दादा के नाम से दर्ज है जो कि वादी के दादा अताउररहमान का देहान्त हो चुका है उनके देहान्त उपरान्त प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 6 वादी के पिता जुनेद अहमद उनके विधिक उतराधिकारी है। जिसमें वादी के पिता का भी देहान्त हो चुका है जिसके मैं वादी एंव तरतीबी पक्षकारान संख्या 11/1 से 11/4 उनके विधिक उतराधिकारी है इस प्रकार वादी के दादा के नाम से दर्ज उक्त वादग्रस्त भूमि का 1/3 हिस्सा में से 1/5 हिस्सा में मुझ वादी व तरतीबी पक्षकार संख्या 11/1 से 11/4 का संयुक्त रूप से बनता है यद्यपि वादी एवं प्रतिवादीगण मुस्लिम विधि से शासित होते है किन्तु वादी सुन्नी संप्रदाय से सम्बन्धित है एवं सुन्नी सम्प्रदाय में सम्पति का विभाजन बराबर किया जाता है पूर्व में भी हमारे द्वारा अन्य सम्पति का विभाजन बराबर हिस्सा में किया गया है। इसलिए उक्त भूमि में भी वादी एवं तरतीबी पक्षकार संख्या 11/1 से 11/4 का संयुक्त रूप से वादी के दादा के नाम से दर्ज 1/3 हिस्सा में से 1/5 हिस्सा प्राप्त करने व शेष 4/5 हिस्सा को तरतीबी पक्षकारान संख्या 3 ता 6 प्राप्त करने के अधिकारी है। जिसके लिए वादी अन्वानी वाद लाने का अधिकारी है। वादी के दादा अताउररहमान का देहान्त हो जाने एवं वादी के पिता जुनैद अहमद का भी देहान्त हो जाने के कारण उपरोक्त पैरा संया 2 में वर्णित भूमि का विरास्तन इन्तकाल दर्ज करने की कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 1 के समक्ष करने पर प्रथमतया टाल मटोल के बाद माह अगस्त 2020 में खातेदार का नाम पहचान सम्बन्धी दस्तावेजों में अताउररहमान पुत्र अब्दूलराम होन व जमाबन्दी में गुअतारहमान पुत्र अब्दुलरहमान होना व शुआउररहमान का नाम जमाबन्दी में जावररहमान पुत्र अब्दुलरहमान होने व नामों में भिन्नता होने के कारण से वारिसान इन्तकाल दर्ज करने से पूर्व जमाबन्दी में दुरूस्ती करवाने के लिए माननीय न्यायालय में वाद के माध्यम से कार्यवाही करने पर ही उक्त समस्त प्रक्रिया संभव होना बताते हुए वादी का हिस्सा वादी के नाम से दर्ज करने से साफ इन्कार कर दिया। बस यही तारीख विनाए मुखास्मत वाद कारण है। वादी अताउररहमान का पौत्र एवं जुनेदा अहमद का पुत्र है। जो कि दोनो का देहान्त हो चुका है। चूंकि वादी के दादा के नाम सुन्नी सम्प्रदाय के अनुसार होने व आम बोलचाल से कुछ भिन्न होने के कारण से व सीया एवं सुन्नी सम्प्रदायल की बोली में भी कुछ आधारभूत अन्तर होने से बोलने एवं सुनने में कुछ परेशानियां होती है जिसकी वजह से वादी के दादा जिनका वास्तविक नाम अताउररहमान पुत्र अब्दुल रहमन है का नाम जमाबन्दी में सहवन से गुअतार रहमान पुत्र अब्दुल रहमान एवं उनके भाई जिनका वास्तविक नाम शुआउररहमान पुत्र अब्दुल रहमान है को जमाबन्दी में शवररहमान पुत्र अब्दुल रहमान एवं दूसरे भाई जिनका नाम जियाउर रहमान पुत्र अब्दुल रहमान है को जावररहमान पुत्र अब्दुल रहमान दर्ज कर दिया गया है। जबकि उनके पहचान सम्बन्धी समस्त दस्तावेजों में उनका वास्तविक नाम ही अंकित है एवं अताउररहमान व शुआउररहमान का देहान्त हो चुका है एवं उनके विधिक उत्तराधिकारियों की पूर्ण

लगातार........3

उप जिला कलैक्टर श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner

जांच भी सम्बन्धित तहसीलदार से प्रतिवादी के द्वारा करवायी जा चुकी है। फिर भी विधिक उत्तराधिकारियों के नाम से उक्त भूमि का नामान्तरण नहीं किया जा रहा है जिससे वादी एवं तरतीबी पक्षकारान को अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भूमि विरास्तन दर्ज नहीं होने से व आगे उत्तराधिकारियों में से भी वादी के पिता का देहान्त हो जाने से आगे से आगे उत्तराधिकारी बढ़ते जाने से प्रक्रिया जटिल होती जा रही है वही दूसरी ओर वादी को राजस्व कार्यो को करने, राजस्व लगान अदा करने, भूमि काश्त करने, भूमि सुधार करने, सरकारी विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने आदि में इस कारण से अनके परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे वादी के विधिक अधिकारों का हनन हो रहा है। जकि वादी उक्त भूमि में अपना हिस्सा विरासत में प्राप्त करने का विधिक अधिकारी है एवं भूमि का वास्तविक स्वामी है। इसलिए अनवानी वाद लाने का अधिकारी है। वादी स्वयं को एवं तरतीबी पक्षकारान संख्या 11/1 से 11/4 को अताउररहमान जो जमाबन्दी में गुअताररहमान पुत्र अब्दुल रहमान दर्ज है कि नाम से दर्ज 1/3 हिस्सा में से 1/5 हिस्सा को विरास्तन में दर्ज करवाने का विधिक अधिकारी है व शेष 4/5 हिस्सा को तरतीबी पक्षकारान संख्या 1 ता 6 अपने नाम से दर्ज करवा पाने के विधिक अधिकारी है। जो वादी वादी उक्तानुसार दर्ज किये जाने पर प्रतिवादी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा इसी प्रकार शंवररहमान जिसका वास्तविक नाम शुआउररहमान पुत्र अब्दुल रहमान है के नाम से दर्ज 1/3 हिस्सा को शुआउररहमान के देहान्त हो जाने से उनके विधिक उत्ताराधिकारी तरतीबी पक्षकारान संख्या 7 ता 10 अपने नाम से दर्ज करवाने के विधिक उत्तराधिकारी है। व जमावन्दी में जो जावररहमान पुत्र अब्दुल रहमान सहवन से अंकित है जिसका वास्तविक स्वामी प्रतिवादी संख्या 2 है जिसका वास्तविक नाम जियाउररहमान पुत्र अब्दुल रहमान है जो सामान्य बोलचाल में परिवर्तन होने से जमाबन्दी में सहवन जावररहमान दर्ज है जो भी प्रतिवादी संख्या 2 जियाउररहमान पुत्र अब्दुल रहमान के नाम से दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। आदि का वाद पत्र पेश कर यह अनुतोष चाहा कि चक 13 बी.एल.एम. (बी) तहसील श्री विजयनगर का मु.नं. 2 प.नं. 212/419 का किला नं. 1/1, 2 ता 9, 10/1, 11/1, 12 ता 19, 20/1, 21/1, 22 ता 25 व मु.नं. 3 प.नं. 212/420 का किला नं. 1/1, 2 ता 9, 10/1, 11/1, 12 ता 15, 16/1, 16/2, 17 ता 19, 20/1, 21/1, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1 का 12.270 है. कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी भूमि में गुअताररहमान पुत्र अब्दुल रहमान के नाम से दर्ज 1/3 हिस्सा भूमि में से 1/5 हिस्सा का वादी एवं तरतीबी पक्षकारान संख्या 11/1 से 11/4 को संयुक्त रूप से खातेदार टेनेन्ट एवं शेष 4/5 हिस्सा के लिए तरतीबी पक्षकारान संख्या 3 ता 6 को बहिस्सा बराबर बराबर में खातेदार टेनेन्ट घोषित किया जावे इसी प्रकार शंवररहमान पुत्र अब्दुल रहमान के नाम से दर्ज 1/3 हिस्सा के लिए तरतीबी पक्षकारान संख्या 7 ता 10 को बहिस्सा बराबर बराबर में खातेदार टेनेन्ट घोषित किया जावे। उपरोक्त वर्णित भूमि 12.270 है. की जमाबन्दी में जो 1/3 हिस्सा भूमि जावररहमान पुत्र अब्दुल रहमान के नाम से दर्ज है में जावररहमान के स्थान पर नाम दुरूस्त कर जियाउररहमान पुत्र अब्दुल रहमान किया जाने के आदेश पारित किये जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 स्वयं एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5, 7 ता 10, 11/1 ता 11/4 की ओर से जरिये मुखत्यारखास प्रतिवादी संख्या 6 के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत कर वादी के वाद पत्र में दर्ज तथ्यों को स्वीकार करते हुए सहमति प्रकट की। प्रतिवादी पैराकार राज ने अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 13 बी.एल. एम.(बी) का प.नं. 212/419 व प.नं. 212/420 का कुल 12.270 है. (9.841 है. क. +2.429 है.अ.क.) रकबा मुताबिक रिकॉर्ड गुअतार रहमान पुत्र अब्दुल रहमान 1/3 हिस्सा, शंवर रहमान पुत्र अब्दुल रहमान 1/3 हिस्सा, जावर रहमान पुत्र अब्दुल रहमान 1/3 हिस्सा जाति पीरजादा सा. देह खातेदार के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है। गत रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया कि ई.सं. 8 दिनांक 23/01/1984 के द्वारा उक्त चक 13 बी.एल.एम.(बी) प.नं. 212/419 व प.नं. 212/420 का 12.270 है.

Scanned by CamScanner

रकबा अब्दुल रहमान पुत्र खिराज नवी के नाम से गुअतार रहमान, शवर रहमान, जावर रहमान पि. अब्दुल रहमान कौम पीरजादा सा. 13 बी.एल.एम. भूतपूर्व जागीरदार पुख्ता अलॉटी नाम से विरासतन का ईन्तकाल दर्ज हुआ। मुताबिक दर्ज नाम शंवर रहमान का मृ.प्र.पत्र SHUAUR RAHMAN नाम से व गुअतार रहमान का नाम अतार्उररहमान फारूकी नाम से मृ.प्र.पत्र पेश किये गये है। वर्तमान में उक्त मृतक खातेदारान के वारिसान झुझूनू के निवासी है मौका पर उक्त रकबा पर जसपाल सिंह पुत्र धर्मपाल ठेकानामा की हैसियत से काश्त कर रहा है। चूंकि प्रतिवादीगण ने वादी के वाद पत्र के तथ्यों से कोई एतराज प्रकट नहीं किया है और कोई विवाधक नहीं है इसलिए तनकियात कायम करने की आवश्यकता नहीं है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं जवाव प्रतिवादीगण का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत समस्त पहचान के दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र तथ्यों से कोई एतराज प्रकट नहीं किया गया है। इसलिए यह वाद पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है।

—:आदेशः—

अतः वादी का वाद पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर चक 13 बी.एल.एम.(बी) तहसील श्री विजयनगर का मु.नं. 2 प.नं. 212/419 का किला नं. 1/1, 2 ता 9, 10/1, 11/1, 12 ता 19, 20/1, 21/1, 22 ता 25 व मु.नं. 3 प.नं. 212/420 का किला नं. 1/1, 2 ता 9, 10/1, 11/1, 12 ता 15, 16/1, 16/2, 17 ता 19, 20/1, 21/1, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1 का 12.270 है. कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में गुअतार रहमान के स्थान पर अताउर रहमान, जावर रहमान स्थान पर जियाउर रहमान तथा शंवर रहमान के स्थान पर शुआऊर रहमान नाम दर्ज करने के दुरूस्ती आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्वर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 05/04/2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भारती

(भारती फूलफकर) RAS
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner